# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 अंक 18 16-29 फरवरी 2020 ₹ 20/-

## इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संपत्ति में दस गुणा वृद्धि

- उत्तर प्रदेश के वक्फ घोटाले की फाइलें गायब
- अमेरिका और तालिबान में समझौता
- तख्ता पलटने के असफल प्रयास में हजारों गिरफ्तार
- महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के बजट में वृद्धि

# भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

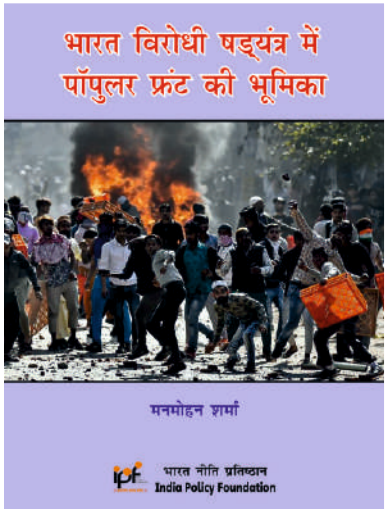


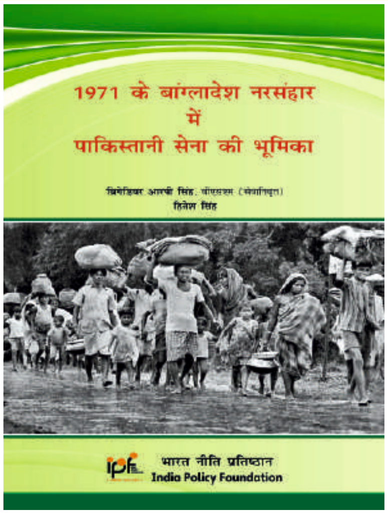


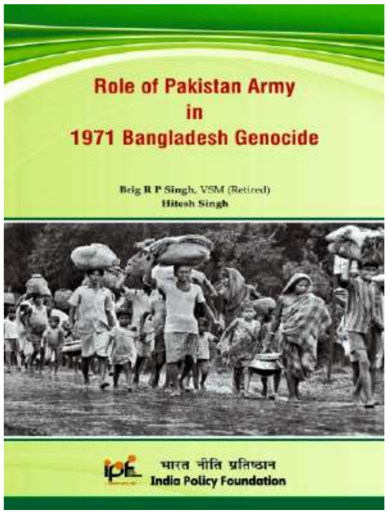


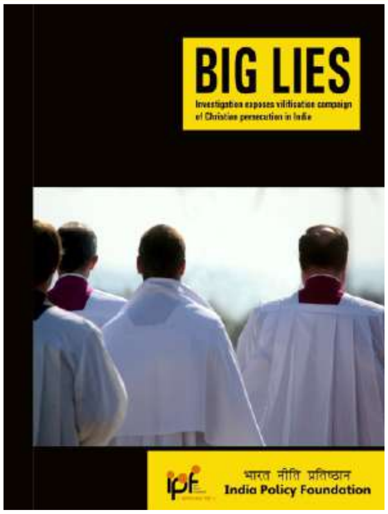


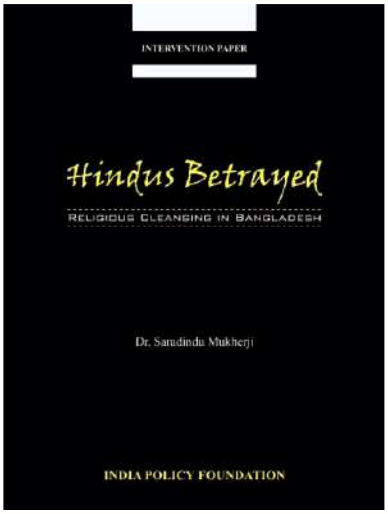


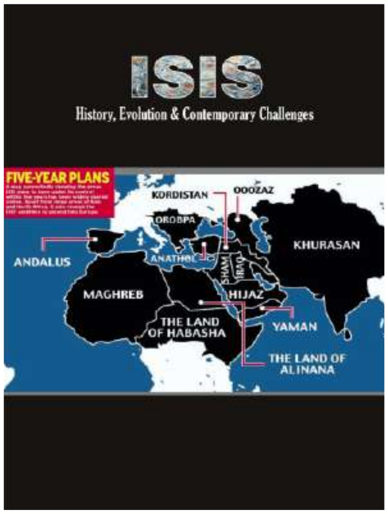


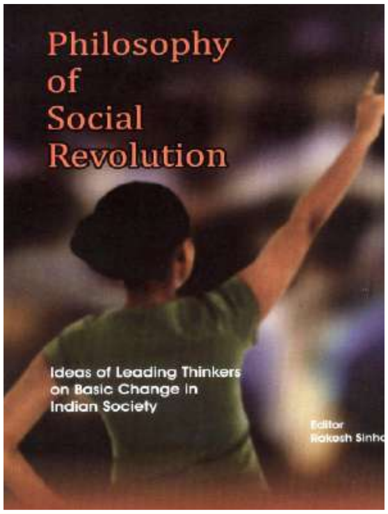


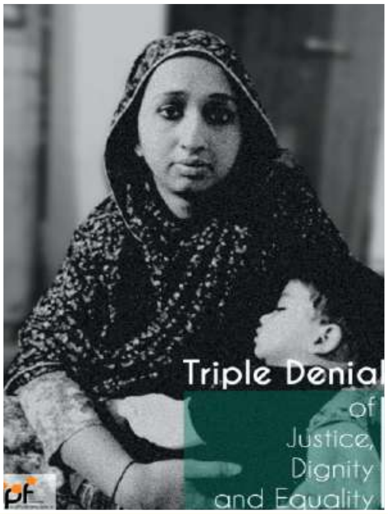


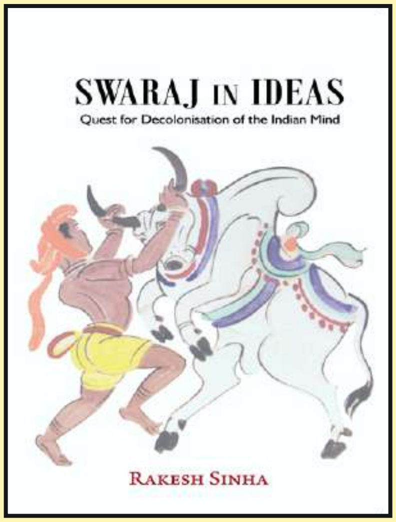

# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 अंक - 18 16-29 फरवरी 2020

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
**डी–51, प्रथम तल,**
**हौज खास,**
**नई दिल्ली–110016**
दूरभाषः 011–26524018

*E-mail:*
**info@ipf.org.in**
**indiapolicy@gmail.com**

*Website:*
**www.ipf.org.in**

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाषित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

सारांश 2

**राष्ट्रीय**

इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संपत्ति में दस गुणा वृद्धि 3

उत्तर प्रदेश के वक्फ घोटाले की फाइलें गायब 6

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर विवाद 7

हज हाउस बदला कोरोना आइसोलेशन सेंटर में 8

विदेशी नागरिकता चाहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी 9

**विश्व**

मलेशिया के नए प्रधानमंत्री 10

अमेरिका और तालिबान में समझौता 11

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री फरार घोषित 13

अलकायदा का नया प्रमुख 14

अफगानिस्तान में 3000 नागरिक मारे गए 14

**पश्चिम एशिया**

तख्ता पलटने के असफल प्रयास में हजारों गिरफ्तार 15

काबा में प्रवेश पर प्रतिबंध 18

ईरान के पूर्व उप विदेश मंत्री कोरोना वायरस का शिकार 19

होस्नी मुबारक का निधन 19

हमास ने वार्ता की पेशकश ठुकराई 21

**अन्य**

तेलंगाना में अवैध धार्मिक स्थल 22

महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के बजट में वृद्धि 23

तेलंगाना में मुसलमानों के लिए बजट में कटौती 23

नागरिकता कानून का विरोध करने पर दो मुसलमान नौकरी से बर्खास्त 24

इस्लामिक आतंकवादियों पर छापे 24

# सारांश

ओवैसी बंधुओं के संगठन 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' की संपत्ति में हुई भारी वृद्धि राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का केन्द्र बनी हुई है। 1963 में जब इस संगठन को पुनर्जीवित किया गया था तो उस समय उसकी वार्षिक आय 7115 रुपये थी और उस पर 1155 रुपये का कर्ज था। 11 वर्ष पूर्व उसकी संपत्ति 400 करोड़ थी जो अब बढ़कर 4000 करोड़ से भी अधिक हो गई है। प्रश्न यह पैदा होता है कि ओवैसी बंधु ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे हैं जिसके कारण कुछ ही दशकों में उनकी संपत्ति में दस गुणा से भी अधिक की वृद्धि हुई है? सबसे खास बात यह है कि यह रहस्योद्घाटन तेलंगाना विधानसभा में मजलिस के नेता अकबरूद्दीन ओवैसी ने स्वयं किया है। उनकी इस घोषणा के बाद तेलंगाना के मुसलमानों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर ने यह आरोप लगाया है कि ओवैसी बंधु स्वयं तो खरबों रुपये में खेल रहे हैं मगर मुसलमानों के उत्थान के लिए उन्होंने कभी एक पैसा खर्च नहीं किया। मुसलमानों को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि उनकी संपत्ति में इतनी वृद्धि कैसे हो गई? इस संस्थान की नींव 1927 में निजाम के इशारे पर रखी गई। इसकी बागडोर नवाब बहादुर यार जंग ने सम्भाली थी जो कि मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष थे। आजादी के बाद कासिम रिजवी नामक एक व्यक्ति ने इस संस्थान को अपने कब्जे में ले लिया। कासिम रिजवी दिल्ली पर आसिफ जाही पताका फहराने के दावे किया करता था। मगर पुलिस एक्शन के कारण उसे पाकिस्तान भागना पड़ा। बाद में 1963 में इस संगठन की बागडोर ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सम्भाली थी। तब से यह संस्था ओवैसी परिवार की पैतृक जागीर बनी हुई है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाडी में मुसलमानों को आरक्षण देने के सवाल पर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की, जिसका समर्थन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हान ने किया। मगर राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। वे इस सच्चाई को जानते हैं कि अगर शिवसेना ने मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन किया तो उनका वोट बैंक पूरी तरह से बिखर जाएगा।

सऊदी अरब में तख्ता पलटने के ताजा प्रयासों ने इस्लामिक जगत को हिलाकर रख दिया है। लौह आवरण के कारण सऊदी अरब के असली घटनाक्रम पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। हां, यह जरूर है कि पाकिस्तानी सेना ने शाह सलमान के निर्देश पर सऊदी शाही परिवार के तेरह प्रमुख राजकुमारों को हिरासत में ले लिया है। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की तैयारी हो रही है। इससे पूर्व भी 2015 और 2017 में सैकड़ों विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था। तब यह दावा किया गया था कि शाह सलमान के पुत्र मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की गद्दी पर दावा करने वाले सभी प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगाने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब के शाह को अपनी सेना पर कतई विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तानी सेना को सौंप रखा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सेना की दो ब्रिगेड पिछले एक दशक से डेरे डाले हुए हैं।

अफगानिस्तान में अमेरिका ने सत्ता तालिबान को सौंप दी है। गत बीस वर्षों से अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेरा डाल रखा है। इस अवधि में कम-से-कम एक लाख से अधिक अफगानी मारे जा चुके हैं। जानकार सूत्रों का अनुमान है कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से बोरिया-बिस्तर बांध कर चले जाने के बाद भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। क्योंकि तालिबान अब अपना निशाना कश्मीर को बना सकते हैं।

# इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संपत्ति में दस गुणा वृद्धि

**दैनिक सियासत** (2 मार्च) के अनुसार "ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेलंगाना विधानसभा में मजलिस के नेता अकबरूद्दीन ओवैसी ने यह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया है कि सिर्फ 11 वर्ष की अल्पावधि में मजलिस की संपत्ति 400 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ हो गई है। उन्होंने इसका श्रेय अपने भाई और मजलिस के वर्तमान अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को दिया।"

**दैनिक इत्तेमाद** (2 मार्च) के अनुसार "62वीं वर्षगांठ के अवसर पर मजलिस के कोषाध्यक्ष ने बताया कि 2 मार्च, 1963 में जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय के तत्कालीन महामंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन ने मजलिस की आर्थिक स्थिति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार जनवरी 1962 से लेकर दिसंबर 1962 तक मजलिस की कुल आय 7015 रुपये थी जबकि खर्च 7125 रुपये था। उस समय मजलिस पर 1155 रुपये का कर्ज भी था। आज मजलिस के कई संस्थान हैं, जिनकी संपत्ति 4000 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से असिरी अस्पताल, ओवैसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का वार्षिक बजट 183 करोड़ है और इनमें 8 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनका मासिक वेतन चार करोड़ है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दो हजार करोड़ की लागत से एक कैंसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।"

अकबरूद्दीन ओवैसी ने कहा कि "हमने कई दर्जन स्कूल स्थापित किए हैं। कभी यह व्यंग्य किया जाता था कि मजलिस केवल पुराने हैदराबाद तक ही सीमित है। आज देश के अनेक राज्यों में इसके पैर पसर चुके हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज देश की वर्तमान स्थिति बेहद गम्भीर है। ऐसी स्थिति में हमें अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। वह कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, जिसे अपने नेतृत्व पर आस्था और भरोसा न हो। उन्होंने कहा कि मजलिस एक राजनीतिक पार्टी नहीं

बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा बेखौफ होकर जनता की समस्या उठाएंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में मुसलमानों के वंशान्मुलन के बावजूद अभी अपनी जुबान नहीं खोली है। दर्जनों मस्जिदों को निशाना बनाया गया और करोड़ों रुपये की संपत्ति तबाह कर दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित था और इसका आयोजन एक राजनीतिक दल ने किया था। सरकार जनता को सुरक्षा प्रदान करने में सरासर विफल रही है।"

मजलिस के दावे की आलोचना करते हुए सियासत (2 मार्च) ने कहा है कि "मजलिस के नेता स्वयं को गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हैं लेकिन उनकी 4000 करोड़ की संपत्ति से मुसलमानों को क्या लाभ हुआ? हैदराबाद और खासतौर पर पुराने शहर के मुसलमान गरीब और पिछड़े हुए क्यों हैं? गरीब मुसलमानों की शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए 500 करोड़ भी खर्च कर दिए जाएं तो पुराने शहर में कोई मुस्लिम परिवार पिछड़ा, बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा।"

**सियासत** ने अपने 1 मार्च के अंक में मजलिस पर चोट करते हुए कहा कि "पूरे तेलंगाना में मुसलमान नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मगर मुसलमानों की लीडरशीप का दावा करने वाली जमात ने चुप्पी साध रखी है। इससे इन संभावनाओं की पुष्टि होती है कि उनका के. चंद्रशेखर राव से गठजोड़ है और वे तेलंगाना में मुसलमानों के विरोध को कमजोर करना चाहते हैं। तेलंगाना सरकार केन्द्र सरकार के खिलाफ कोई कड़ा कदम लेने को टाल रही है। अजीब बात है कि मजलिस के पास राज्य के बाहर और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन के जलसों में भाग लेने का समय है मगर हैदराबाद में उन्होंने जानबूझकर मौन धारण कर रखा है। हैदराबाद में मुसलमानों को शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? मजलिस न स्वयं विरोध कर रही है और न ही किसी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे रही है। तेलंगाना में विपक्ष के नेता अकबरूद्दीन ओवैसी ने स्वयं को विरोध प्रदर्शनों से दूर रखा है।"

**सियासत** (3 मार्च) के अनुसार "हैदराबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने अकबरूद्दीन ओवैसी के इस ऐलान पर हैरानी व्यक्त की है कि ओवैसी बंधुओं के पास केवल 4000 करोड़ की ही संपत्ति है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिसे वे छिपाए हुए हैं। मजलिस के नेताओं ने आज तक मुसलमानों के उत्थान के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया है और वे खुद मौज उड़ा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा कारोबार किया था जिसके कारण उनकी संपत्ति में दस गुणा से ज्यादा वृद्धि हो गई? ओवैसी परिवार तो स्वयं खरबपति बन गया मगर हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमान गरीब और पिछड़े ही रहे। ओवैसी बंधुओं ने मुसलमानों की राजनीति पर दोनों हाथों से दौलत बटोरी है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति में ही वृद्धि करने में आज तक रुचि रही है।"

**टिप्पणी:** ओवैसी परिवार शुरू से ही समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाकर अपनी राजनीति की दुकान चमकाता रहा है। ओवैसी बंधुओं के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को भी समाज के दो वर्गों में नफरत फैलाने और राष्ट्रद्रोही भाषण देने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। 1958 में उन पर न्यायालय में इन्हीं आरोपों के सिलसिले में मुकदमा भी चला था। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी आंध्र प्रदेश में साम्प्रदायिकता की आग फैलाने में किसी से पीछे नहीं रहे। हैदराबाद में हुए अनेक साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने में इस पार्टी का प्रमुख हाथ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व चार मीनार के समीप ऐतिहासिक भाग्यलक्ष्मी मंदिर को असदुद्दीन ओवैसी ने अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने के लिए साम्प्रदायिक अभियान चलाया था। इसके कारण कम-से-कम पांच बार हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगे भड़के। 2009 में हैदराबाद पुलिस ने उन पर दंगे भड़काने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया था।

असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरूद्दीन ओवैसी अपने बड़े भाई से भी चार कदम आगे हैं। 5 जनवरी, 2013 को निजामाबाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर सरकार 15 मिनट के लिए भी पुलिस को हटा ले तो

मुसलमान आसानी से हिन्दुओं का नामोंनिशान मिटा देंगे। एक अन्य जनसभा में अकबरूद्दीन ओवैसी ने भगवान राम और उनकी माता के बारे में जो अपशब्द कहे थे वह तो बेशर्मी की हद थी। सितम्बर, 2012 में ओवैसी ने कहा था कि वे एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को किसी भी कीमत पर भारत से बाहर भेजने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भेजने की कोशिश की गई तो वे इसके लिए खून की दरिया बहा देंगे।

इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक संस्था जिस पर ओवैसी परिवार ने कब्जा कर रखा है उसका इतिहास बेहद खतरनाक है। 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां के इशारे पर नवाब महमूद नवाज खान ने इस संस्था की नींव 1927 में रखी थी। इसका लक्ष्य हैदराबाद में ब्रिटिश ताज के साए में एक आजाद मुस्लिम रियासत की स्थापना था। 1938 में इस संस्था की बागडोर मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोगी नवाब बहादुर यार जंग ने संभाली। नवाब बहादुर यार जंग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे। इन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का डटकर समर्थन किया था। 1939 में बहादुर यार जंग के निमंत्रण पर जिन्ना हैदराबाद आए थे और उन्होंने निजाम से मुलाकात भी की थी। बताया जाता है कि जिन्ना ने निजाम से अनुरोध किया था कि वे अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की घोषणा करें। मगर निजाम ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि निजाम एक आजाद मुस्लिम हैदराबाद के सम्राट बनने का स्वप्न संजोए हुए थे।

इसी दौरान बीड (इस समय महाराष्ट्र) के रहने वाले एक मुसलमान वकील कासिम रिजवी ने नवाब बहादुर यार जंग के माध्यम से निजाम मीर उस्मान अली खान से सम्पर्क साधा। निजाम ने सैयद कासिम रिजवी के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने डेढ़ लाख रजाकार भर्ती किए, जिसका लक्ष्य निजाम हैदराबाद की आजाद मुस्लिम रियासत की रक्षा करना था। इन रजाकारों ने हैदराबाद रियासत और आसपास के क्षेत्रों के हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार किए, जमकर लूटपाट व हत्याएं कीं और उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया।

जब 1947 में देश आजाद हुआ तो निजाम ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने के बजाय आजाद हैदराबाद की घोषणा कर दी। तब कासिम रिजवी हर रोज हैदराबाद स्थित निजाम के 'रेडियो डेक्कन' से भारत विरोधी भाषण प्रसारित किया करता था। वह यह धमकी दिया करता था कि हैदराबाद की मुस्लिम सेनाएं सारे भारत पर कब्जा करके उसे मुस्लिम साम्राज्य में बदल देंगी और जिसके खलीफा और सुल्तान मीर उस्मान अली खान होंगे। निजाम ने पाकिस्तान की मदद से विदेशों से हथियार खरीदने के लिए 1 मिलियन पाउंड की धनराशि लंदन के एक बैंक के माध्यम से लंदन स्थित पाकिस्तान के राजदूत को भिजवायी थी, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया। यह धनराशि जो अब 35 मिलियन पाउंड तक पहुंच चुकी है आज भी लंदन के बैंक में पड़ी हुई है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है।

जब निजामशाही के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए तो तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल के दबाव पर हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। जनरल जे. एन. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना 6 दिशाओं से हैदराबाद में दाखिल हुई। निजाम की सेनाओं और रजाकारों ने भारतीय सेना का मुकाबला करने का प्रयास किया। मगर उन्हें दो दिन के भीतर ही हार का सामना करना पड़ा और भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने पर विवश होना पड़ा। निजाम ने इस आत्मसमर्पण की विधिवत घोषणा 'रेडियो डेक्कन' से की। जनरल चौधरी को हैदराबाद का सैनिक प्रशासक नियुक्त किया गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता कासिम रिजवी को भारतीय सेना ने हिरासत में ले लिया और उसके संगठन इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सैयद कासिम रिजवी को उम्रकैद की सजा दी गई। मगर उसे 1957 में पाकिस्तान चले जाने के शर्त पर भारतीय जेल से छोड़ा गया।

निजाम और उसके कठपुतली संगठन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तार शुरू से ही पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि भारत सरकार ने हैदराबाद के अपदस्थ प्रधानमंत्री मीर लाइक अली को उनके घर में

नजरबंद कर दिया था। मगर वे 1950 में भारतीय सुरक्षा सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर एक कार में छिपकर मुम्बई पहुंच गए। वहां के जुहू हवाई अड्डे पर एक पाकिस्तानी वायुयान उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसमें सवार होकर वे कराची पहुंच गए।

इस पार्टी की निष्ठा आज भी पाकिस्तान से बनी हुई है। यही कारण है कि इस पार्टी की ओर से आज भी खुलेआम यह दावा किया जाता है कि भारत ने फौज भेजकर जबरन हैदराबाद पर कब्जा किया था और इस हमले के दौरान हजारों मुसलमान मारे गए थे तथा हजारों मुस्लिम महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। आज भी इस पार्टी की ओर से 17 सितम्बर को योमे स्याह (शोक दिवस) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रियासत हैदराबाद के भारत में विलय की घोषणा की गई थी।

कासिम रिजवी ने पाकिस्तान जाने से पूर्व इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर हैदराबाद के एक वकील अब्दुल वहाब ओवैसी को सौंप दी थी। बताया जाता है कि ओवैसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सम्पर्क स्थापित किया और भारत सरकार ने इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद यह पार्टी हैदराबाद की राजनीति में सक्रिय हो गई और उसने मुसलमानों को संगठित और उन्हें भारत सरकार के खिलाफ भड़काने का अभियान तेज कर दिया। सन् 2000 में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने तसलीमा नसरीन और सलमान रूश्दी के खिलाफ जारी उस फतवे का खुलकर समर्थन किया था, जिसमें इन दोनों के हत्यारों को ईनाम देने की घोषणा की गई थी। 2007 में जब तसलीमा नसरीन अपनी पुस्तक के तेलुगु अनुवाद का लोकार्पण करने के लिए हैदराबाद आई तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। जिस पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन था। 2011 में असदुद्दीन ओवैसी का आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के साथ हैदराबाद में एक भूखंड के अलॉटमेंट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। हालांकि बहाना यह बनाया गया कि राज्य सरकार क्योंकि अवैध रूप से बनाए गए भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गिरवाने के लिए तैयार नहीं है इसलिए वे किरण रेड्डी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे।

1975 में अब्दुल वाहिद ओवैसी के निधन के बाद इस पार्टी की बागडोर उनके पुत्र सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने संभाली। हालांकि इससे पहले सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1960 में हैदराबाद नगरपालिका का चुनाव जीता था। इसके बाद 1962 से वे हैदराबाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों से चुनाव जीतते रहे। 1984 में वे हैदराबाद से 38 प्रतिशत मत प्राप्त करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे। सलाहुद्दीन ओवैसी 2004 तक हैदराबाद का चुनाव जीतते रहे। उसके बाद से इस सीट पर उनके पुत्र और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्तमान अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है।

# उत्तर प्रदेश के वक्फ घोटाले की फाइलें गायब

**इंकलाब** (13 मार्च) के अनुसार "शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में अरबों रुपये के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के फौरन बाद लखनऊ के सबसे सुरक्षित कार्यालय बापू भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के कार्यालय से अनेक महत्वपूर्ण फाइलों की चोरी हो गई है। बताया जाता है कि यह हरकत घोटालों पर पर्दा डालने के लिए की गई है। सरकार की ओर से इस संबंध में एक रपट दर्ज कराई गई है, जिसमें कुछ कर्मचारियों को इस चोरी का दोषी बताया गया है। वक्फ विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

"उल्लेखनीय है कि वक्फ संपत्ति में घोटालों की जांच करवाने की मांग कई वर्ष से मौलाना कल्बे जवाद नकवी और अन्य धार्मिक नेता कर रहे थे। कुछ समय पूर्व

राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अचानक इस बात की खबर मिली कि वक्फ बोर्ड की विशेष ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित फाइलें चोरी हो गई हैं। बताया जाता है कि ये फाइलें शत्रु संपत्ति से संबंधित थीं। थाना में दी गई रिपोर्ट में अनुभागा अधिकारी राम भरत ने लिखवाया है कि इस फाइल को पिछले वर्ष 17 मई को जांच अधिकारी आजम के पास भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आठ बार यह फाइल संयुक्त सचिव, विभागीय सचिव, विशेष सचिव आदि को भेजी गई थी। 7 जून को यह फाइल जांच अधिकारी आजम के पास पहुंच गई थी और तब से यह फाइल गायब है। वक्फ विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मौलाना कल्बे जवाद आदि ने इन घोटालों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी मगर इस मांग पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। बाद में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इन फाइलों को हजरतगंज थाने में भेजा गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस घोटाले की सीबीआई से जांच करवाने का निर्देश दिया है।"

एक अन्य समाचार के अनुसार "शिया धार्मिक नेता अल्लामा जमीर नकवी ने वक्फ बचाओ आंदोलन की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यह घोटाला हजारों करोड़ का है और यह काम आजम खान को घोटाले से बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर में आजम खान को वक्फ संपत्ति की 86 बीघा जमीन गैरकानूनी तौर पर दे दी गई है। उन्होंने इस घोटाले से संबंधित विवरण देते हुए कहा कि यह संपत्ति रामपुर के थाना आजम नगर में स्थित है, जिसे 1938 में शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज किया गया था। इस संपत्ति के असली मालिक पाकिस्तान जा चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आजम खान को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुन्नी मुसलमान मसूद खान को इसका मतवली (प्रबंधक) नियुक्त किया था। सवाल यह पैदा होता है कि शिया वक्फ बोर्ड की जमीन का मतवली एक सुन्नी को कैसे बनाया गया? वक्फ बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष समीर शम्सी ने आरोप लगाया कि आजम खान को घोटाले के आरोप से बचाने के लिए वसीम रिजवी ने इन फाइलों को गायब करवाया है। उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया कि इस समय जो फाइलें वक्फ बोर्ड में मौजूद हैं उन्हें भी जलाने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस घोटाले की जांच करवाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यही कारण है कि आठ महीने गुजर जाने के बावजूद भी सीबीआई के हवाले एक भी फाइल नहीं की गई है।"

# महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर विवाद

**मुंबई उर्दू न्यूज** (4 मार्च) के अनुसार "महाराष्ट्र सरकार में मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रश्न पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में विवाद उत्पन्न हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी तक राज्य सरकार के पास मुसलमानों को शिक्षा क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मामला आएगा तब वे अपनी सरकार की नीति की घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि गत दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विधान परिषद में यह घोषणा की थी कि मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला सरकार ने कर लिया है और इस संदर्भ में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाडी सरकार में मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रश्न पर गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के एक मुख्य नेता और राज्य के मंत्री अशोक चव्हान ने यह घोषणा की है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने संयुक्त घोषणापत्र में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण का वायदा कर चुकी है और हम उसे हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि मुसलमानों को

आरक्षण देने के मामले में अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना का साथ छोड़ती है तो भाजपा शिवसेना के साथ पुनः समझौता करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के शासनकाल में पारित गोरक्षा बिल और गोवध पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करने पर विचार कर रही है तो उन्होंने इस समाचार को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा इस मामले में दोहरी नीति अपना रही है। एक ओर तो वह महाराष्ट्र में गोवध के कानून का समर्थन करती है। मगर देश भर में वह इस कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं है।"

# हज हाउस बदला कोरोना आइसोलेशन सेंटर में

**हमारा समाज** (8 मार्च) के अनुसार "गाजियाबाद में स्थित आला हजरत हज हाउस को योगी सरकार ने कोरोना आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने अनेक जिलों में मांस, मछली आदि बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। योगी सरकार ने यह निर्णय किया है कि हज हाउस में 400 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर होगा। गाजियाबाद के अतिरिक्त जिला अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों को इस केन्द्र में रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी।"

"उल्लेखनीय है कि साहिबाबाद के समीप अर्थला में यह हज हाउस मौजूद है। 2018 में योगी सरकार ने इस हज हाउस में ताला लगवा दिया था। तब से यह बंद पड़ा हुआ है। इस आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। आशा है कि कुछ ही दिनों के अंदर यह केन्द्र चालू हो जाएगा। जिलाधिकारी के अनुसार विदेशों से आने वाले लोगों को यहां पर डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। और यहां पर उन्हें दो से चार सप्ताह तक रखा जाएगा और अगर जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो उन्हें दिल्ली के अस्पतालों में भेज दिया जाएगा।"

"उल्लेखनीय है कि यह हज हाउस अखिलेश यादव के शासनकाल में बनाया गया था और इसे तत्कालीन

नगर विकास मंत्री आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। बाद में यह दावा किया गया कि इस भवन के निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया गया। इस पर योगी सरकार ने इसे 2018 में सील कर दिया था।"

"सरकारी सूत्रों के अनुसार फरवरी 2014 में हज हाउस के निर्माण पर 35 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया गया था मगर बाद में इस भवन पर होने वाले खर्च को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। सरकारी सूत्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी इस हज हाउस का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और इसे हज कमेटी को सौंपने से पूर्व इस पर दो करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करनी होगी। इस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सील कर दिया था।"

# विदेशी नागरिकता चाहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी

**सियासत** (6 मार्च) ने दावा किया है कि "2009 में 4722 भारतीयों ने अन्य देशों में राजनीतिक शरण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे और उन्होंने इसका यह कारण बताया था कि देश में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दस वर्ष की अवधि में ऐसे लोगों की संख्या में दस गुणा गुणा वृद्धि हुई। 2018 में यह संख्या बढ़कर 51,769 तक पहुंच गई। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वाच की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिन भारतीयों ने अन्य देशों में राजनीतिक शरण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना याचिका दी हैं उनका यह तर्क है कि वे भारत में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नागरिक न केवल अमेरिका और कनाडा बल्कि दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया के अतिरिक्त जर्मनी में भी राजनीतिक शरण पाने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं।"

"2009 में अमेरिका में 1321 व्यक्तियों ने राजनीतिक शरण पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे। जबकि कनाडा में इस अवधि में 1039 भारतीयों ने राजनीतिक शरण पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। 2018 में अमेरिका में राजनीतिक शरण पाने के लिए 28,489 लोगों ने याचिकाएं दीं। जबकि कनाडा में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 5,522 रही। दक्षिण अफ्रीका में 4,329 भारतीयों ने राजनीतिक शरण मांगी और आस्ट्रेलिया में 3,584 भारतीय नागरिकों ने राजनीतिक शरण की मांग की। ब्रिटेन में राजनीतिक शरण पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 1667 रही और दक्षिण कोरिया में 1657 भारतीयों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने का अनुरोध किया। जर्मनी में ऐसे लोगों की संख्या 1313 रही। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों ने 57 देशों में राजनीतिक शरण पाने का अनुरोध किया। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2014 के चुनाव परिणामों के बाद भारत में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि ये लोग रोजगार की तलाश में विदेशों में नागरिकता पाने का प्रयास कर रहे हैं।"

# मलेशिया के नए प्रधनमंत्री

**इत्तेमाद** (1 मार्च) के अनुसार "मलेशिया के राजा ने देश के प्रमुख राजनेता मुहिद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यासीन महातिर मोहम्मद की पार्टी बरसातु के प्रमुख रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्षी पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (यूएमएनओ) पुनः सत्तारूढ़ गठबंधन में आ जाएगी। यह संगठन 2018 के चुनाव में हार गई थी और सत्ता उसके हाथ से निकल गई थी। बरसातु ने पिछले हफ्ते शासक गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने नए गठबंधन में यूएमएनओ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की थी।"

"उल्लेखनीय है कि महातिर ने यूएमएनओ के साथ इसलिए समझौता करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस संगठन से संबंधित पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अनेक मुकदमें चल रहे हैं। मुहिद्दीन यासीन को सत्ता से दूर रखने के लिए 94 वर्षीय महातिर ने पूर्व शासक गठबंधन के प्रमुख अनवर इब्राहिम से समझौता करने का प्रयास किया था और इस बात की संभावना पैदा हो गई थी कि वे पुनः प्रधानमंत्री का पद संभाल लेंगे। मगर शाही महल ने इसी दौरान मुहिद्दीन यासीन के प्रधानमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा कर दी। इससे देश में जारी राजनीतिक संकट का खात्मा हो गया। 72 वर्षीय मुहिद्दीन एक अनुभवी नेता हैं। उन्होंने 2016 में एक नए राजनीतिक गठबंधन बरसातु के साथ गठजोड़ किया था। मलेशिया के विशेषज्ञों का दावा है कि यह मलेशिया के लिए एक बुरी खबर है। क्योंकि इस सरकार में एक जिहादी इस्लामिक संगठन पी.ए.एस. भी शामिल है, जो कि इस देश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पूर्व चुनाव में यूएमएनओ की करारी हार हुई थी। महातिर के त्यागपत्र के बाद गठबंधन ने अनवर को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया था। बाद में गठबंधन ने अपना निर्णय बदलकर महातिर को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। लेकिन मलेशिया के राजा के हस्तक्षेप के कारण सारी योजना धूल में मिल गई।"

**सियासत** (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में मलेशिया में हुए राजनीतिक उथल-पुथल पर प्रकाश डाला है और कहा है कि "विश्व स्तर पर इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी शक्तियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं जो कि मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है। मलेशिया में इस्लाम विरोधी गतिविधियों के कारण महातिर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अब उनकी जगह पूर्व गृहमंत्री मुहिद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त

किया गया है और उन्होंने अपने पद की शपथ भी ले ली है। उनके शपथ लेते ही देश में उनके विरूद्ध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। यासीन का संबंध माले जाति से है इसलिए उन्हें विवादित नेता माना जाता है और उन्हें मुस्लिम बहुल दलों का समर्थन प्राप्त है। मलेशिया में गैरमुसलमान भी हैं। वहां के गैर मुसलमानों का आरोप है कि जिहादी मुसलमानों के सत्ता में आने के बाद उनके लिए संकट पैदा होगा।"

समाचारपत्र ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि "विश्व में इस्लाम विरोधी शक्तियां बड़ी तेजी से इस्लाम समर्थकों को सत्ता से दूर करने का प्रयास कर रही हैं। आज विश्व में जो भी इस्लाम को मजबूत बनाने की बात करेगा उसे ये पश्चिमी देश मिट्टी में मिला देंगे। मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने 1981 से लेकर 2003 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उनके प्रयासों से इस्लामी देशों के सहयोगी संगठन का एक अधिवेशन मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसका लक्ष्य विश्व में इस्लामिक देशों को सुदृढ़ बनाना था। उनका यह प्रयास इस्लाम दुश्मन देशों को नहीं भाया और उन्होंने इस्लामिक देशों को दो गुटों में विभाजित कर दिया। इसके बाद इन पश्चिमी देशों ने दबाव बनाकर महातिर को उनके पद से हटा दिया ताकि वे मुस्लिम देशों को अपनी अंगुलियों पर नचा सकें। महातिर ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध किया था, जिससे नाराज होकर मोदी सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल मंगवाना बंद कर दिया था। महातिर के खिलाफ साजिशें रची गई और उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया ताकि वे इस्लाम और इस्लामिक देशों को एकजुट न कर सकें। अब मुहिद्दीन यासीन के पुनः सत्ता में आ जाने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा वहां पर राजनीतिक संकट पैदा करने की संभावना बढ़ गई है।"

# अमेरिका और तालिबान में समझौता

**इत्तेमाद** (1 मार्च) के अनुसार "अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच 20 वर्ष से चल रहा युद्ध समाप्त हो गया है और इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर कतर की राजधानी दोहा में समझौता हो गया है। इस समझौते पर अफगान-तालिबान की ओर से मुल्ला अब्दुल गनी और अमेरिका की ओर से जलमय खलीलजादा ने हस्ताक्षर किए। दोहा समझौता के तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो की सेना की वापसी अगले चौदह महीनों के अंदर हो जाएगी और इसके जवाब में तालिबान को इस बात की गारंटी देनी होगी कि वे अफगानिस्तान को किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।"

"उल्लेखनीय है कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और इस समय अफगानिस्तान में अमेरिका के 14 हजार और नाटो देशों के 17 हजार सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद वे अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त कर देंगे। इस समारोह में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित 50 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और मेरा अफगानिस्तान के लोगों से यह अनुरोध है कि वे देश में इस्लामिक प्रशासन को स्थापित करने के लिए इक्ट्ठे हों। दोहा में युद्धविराम को इस समझौते द्वारा स्थाई बनाया जाएगा।"

"उर्दू समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों में इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया है कि तालिबान इस समझौते को लागू नहीं करेंगे। मगर तालिबान के प्रवक्ता ने इन समाचारों का खंडन किया है और यह दावा किया है कि वे इस समझौते को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"

**इत्तेमाद** (24 फरवरी) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि "अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामिक हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका द्वारा 20 वर्षों से प्रयास

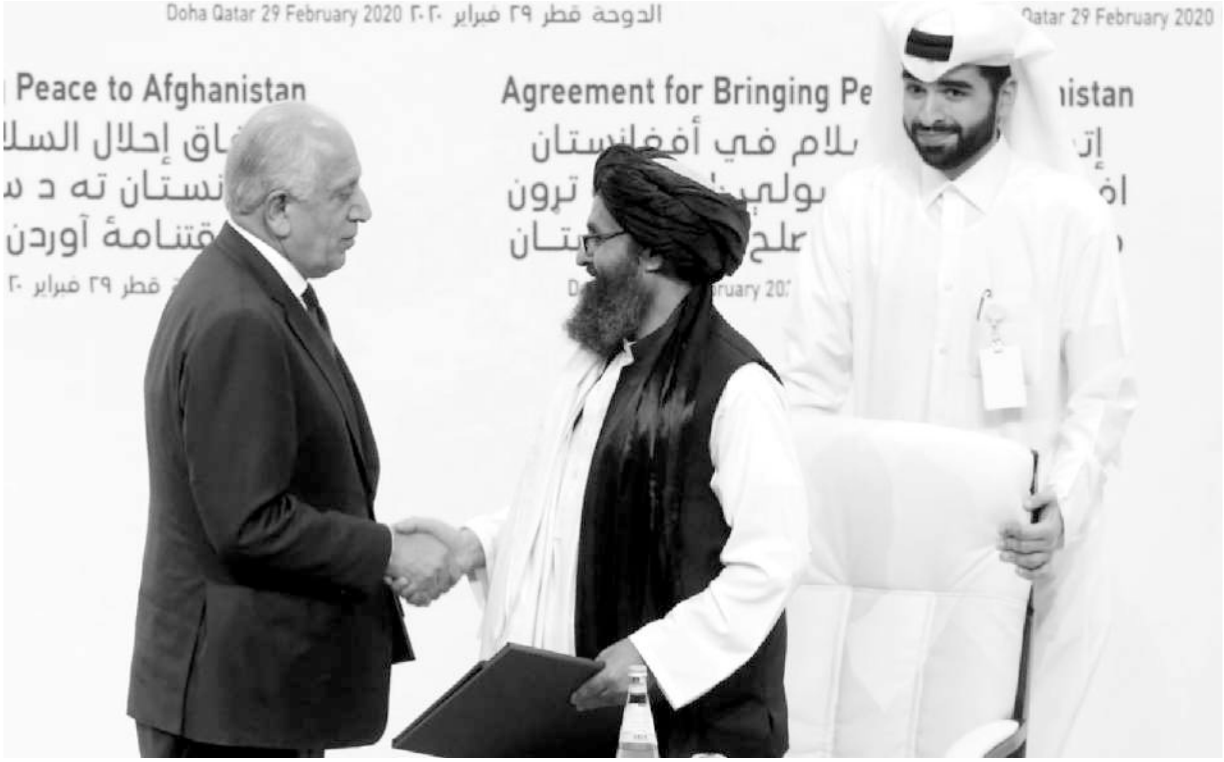


किए जा रहे हैं मगर अब उसे यह बात समझ में आ गई है कि वह इस देश से तालिबान को खत्म नहीं कर सकता इसलिए उसने समझौते का रास्ता अपनाया है। अमेरिका हालांकि अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ चुका था मगर इसके बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष जारी था। इसलिए अमेरिका को तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार होना पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच गत 20 वर्षों से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक एक लाख लोग मारे जा चुके हैं।"

**सियासत** (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि "अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार को अमेरिका ने अपदस्थ कर दिया था और हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया था। तालिबान ने अमेरिकी सेना के साए में होने वाले हर चुनाव का बहिष्कार किया और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए। अब जबकि अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया है तो अशरफ गनी दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान के प्रमुख कार्यकारी नेता अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इस चुनाव को फ्रॉड बताया है। अशरफ गनी ने अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते की सफलता पर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि अफगानिस्तान के पास जो पांच हजार तालिबान कैदी हैं उनको रिहा करने का कोई वायदा नहीं किया गया है।"

"दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की मांग की है कि अफगानिस्तान तालिबान कैदियों को फौरन रिहा कर दे। अशरफ गनी ने कहा है कि वे कैदियों को इसलिए रिहा नहीं कर सकते क्योंकि वे रिहा होते ही हिंसा का नया दौर शुरू करेंगे। अमेरिका ने यह आशा व्यक्त की है कि तालिबान अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से अपने संबंध विच्छेद कर लेंगे और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से निपटने में सफल होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के इस समझौते का लक्ष्य यह है कि तालिबान को आईएसआईएस से लड़वा दिया जाए और ये दोनों मुसलमान संगठन लड़कर खत्म हो जाएं। खास बात यह है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अशरफ गनी को राष्ट्रपति के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी है इसलिए इन दोनों का विवाद गम्भीर रूप धारण कर सकता है।"

# पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री फरार घोषित

**सियासत** (27 फरवरी) के अनुसार "पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण फरार घोषित किया गया है। यह फैसला पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने अपनी विशेष बैठक मे किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान सरकार को अपने डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट की कापी प्रस्तुत नहीं की है और यह जमानत शर्तो का उल्लंघन है।"

"उल्लेखनीय है कि 70 वर्षीय नवाज शरीफ को इलाज करवाने के लिए सशर्त जमानत दी गई थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह तक इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। शरीफ के डॉक्टरों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री गम्भीर रोग के शिकार हैं और उन्हें कई बार सर्जरी करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया था कि नवाज शरीफ की जमानत में विस्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें वापस स्वदेश लौटना होगा, जिसे नवाज शरीफ ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है।"

# अलकायदा का नया प्रमुख

**सियासत** (25 फरवरी) के अनुसार "आतंकवादी संगठन अलकायदा ने एक अमेरिकी हमले में अपने प्रमुख कासिम अल-रायमी की हत्या की पुष्टि की है और यह घोषणा की है कि खालिद सईद बिन उमर बतरफी को अलकायदा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह ऐलान अलकायदा की धार्मिक मामलों की शाखा के प्रमुख हामिद बिन महमूद ने एक ऑडियो संदेश में किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 फरवरी को घोषणा की थी कि अलकायदा के अरब प्रायद्वीप प्रमुख कासिम अल-रायमी को यमन में अमेरिका ने मार दिया है। अमेरिकी सरकार के नजर में यमन में अलकायदा काफी मजबूत है।"

# अफगानिस्तान में 3000 नागरिक मारे गए

**सियासत** (25 फरवरी) के अनुसार "अफगानिस्तान में युद्ध में पिछले एक वर्ष में तीन हजार नागरिक मारे गए हैं और सात हजार घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के अनुसार 2019 लगातार छठा वर्ष है जब अफगानिस्तान में चल रहे संघर्षों में 10,000 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार 3403 नागरिक मारे गए और 6989 लोग घायल हुए, जिनमें से अधिकांश लोगों की हत्या सरकार विरोधी तत्वों ने की। आईएसआईएस द्वारा की जा रही हत्याओं में कमी आ रही है और 2018 की तुलना में 2019 में पांच प्रतिशत की कमी हुई है। लेकिन तालिबान और सैनिकों के बीच मुठभेड़ों में मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।"

# तख्ता पलटने के असफल प्रयास में हजारों गिरफ्तार

**मुंबई उर्दू न्यूज** (9 मार्च) के अनुसार "सऊदी अरब में शाह के महल और युवराज के महल की सुरक्षा का भार पाकिस्तानी सेना ने सम्भाल लिया है। सारे नगर को पाकिस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत कई दशक से सऊदी अरब के शाह और वरिष्ठ राजकुमारों की सुरक्षा का भार पाकिस्तानी सेना के हाथ में है। जानकार सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना की दो ब्रिगेड राजधानी और महत्त्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा का भार सम्भाले हुए हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ विश्लेषक मुबाशेर लुक्मान ने सऊदी अरब की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक सऊदी परिवार के 13 वरिष्ठ शहजादों को पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार कर चुके हैं और तीन मंत्रियों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। अल-अहसा और नजरान के गवर्नर जो अब्दुल अजीज के भांजे हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं है। इस विश्लेषक ने यह भी दावा किया है कि विद्रोहियों ने युवराज मोहम्मद बिन सलमान की हत्या करने का प्रयास किया था जो विफल रहा। बताया जाता है कि युवराज अस्पताल में भर्ती हैं। विद्रोहियों की योजना काबा पर कब्जा करके नए शासक की घोषणा करने की थी। जब इस घटना की जानकारी सऊदी अरब के गुप्तचर विभाग को मिली तो उसने पाकिस्तानी सेना की सहायता से विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।"

"उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब के शासकों को अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, इसलिए सऊदी शाह और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की सुरक्षा का भार पाकिस्तानी सेना के हाथों में है। इस पाकिस्तानी सेना का सारा खर्च सऊदी सरकार देती है। मगर उसके सारे अधिकारी पाकिस्तानी नागरिक हैं।"

**दैनिक इंकलाब** में 8 मार्च को प्रकाशित मुख्य समाचार के अनुसार "सऊदी अरब में राज परिवार के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों में वर्तमान शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और भतीजे मोहम्मद बिन नायेफ शामिल हैं। अमेरिकी समाचार पत्र 'वाल स्ट्रीट जर्नल' के अनुसार नकाबपोश सऊदी गार्डों ने राजपरिवार के इन सदस्यों को उनके महलों में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनके महलों की तलाशी भी ली गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शाही परिवार के इन वरिष्ठ सदस्यों को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है? सऊदी अरब सरकार ने भी इस संदर्भ में कोई अधिकृत घोषणा जारी नहीं की है। मगर जानकार सूत्रों के अनुसार इन लोगों को विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।"

"उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2017 में भी राजपरिवार के अनेक लोगों को विभिन्न आरोपों में हिरासत में लिया गया था। इनमें पूर्व मंत्री एवं तख्त के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन नायेफ भी शामिल थे। नायेफ की जगह शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अपने भतीजे को नजरबंद कर दिया था। इस समय मोहम्मद बिन सलमान ही शासन चला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार राजपरिवार के इन वरिष्ठ लोगों को मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर ही गिरफ्तार किया गया है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे भविष्य में उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाल ही में इस बात की भी चर्चा थी कि शाह सलमान के सगे भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज भी सऊदी अरब के तख्त पर दावा कर रहे हैं। अहमद बिन अब्दुल अजीज ने 2018 में जब वे लंदन में थे तो उन्होंने सऊदी शाह को अपना निशाना बनाया था। सूत्रों के अनुसार कुछ पश्चिमी देश शाह सलमान के मुकाबले में उनके छोटे भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज के गद्दी पर दावे का समर्थन कर रहे थे। इसलिए वर्तमान युवराज के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ राजपरिवार के कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सऊदी अरब में शाह और उनके युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बाद उनके भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज को ही सबसे ताकतवर हस्ती समझा जाता है।"

"2017 में भी तत्कालीन गृह मंत्री मोहम्मद बिन नायेफ को अचानक गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया था। विदेशी समाचारपत्रों के अनुसार इन दोनों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की संभावना है, जिसमें उन्हें उम्रकैद या मृत्युदंड दिया जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान द्वारा सऊदी अरब में जो उदारवादी नीति अपनाई गई है उसका विरोध मुस्लिम धार्मिक नेताओं का एक गुट कर रहा है। उनका कहना है कि यह नीति इस्लाम विरोधी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान शाह के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को 29 वर्ष की आयु में ही देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने यमन में युद्ध की घोषणा की थी। समाचारपत्रों में इस बात की भी चर्चा थी कि सऊदी अरब के वर्तमान शाह 84 वर्षीय सलमान बीमार हैं। इस समाचार का खंडन करने के लिए सऊदी सरकार ने शाह सलमान का ताजा चित्र भी मीडिया में प्रसारित किए हैं। अल जजीरा के अनुसार अहमद बिन अब्दुल अजीज नामक जिस शहजादे को गिरफ्तार किया गया है वे वर्तमान शाह के छोटे भाई हैं। उन्हें वर्तमान युवराज ने इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि वे गद्दी पर अपने दावे को मजबूत बना सकें।"

"पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों के अनुसार जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे सऊदी अरब के तख्त पर कब्जा करने की साजिश कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 100 के करीब प्रशासकीय और उच्च सैनिक अधिकारी बताए जाते हैं। राजकुमार अहमद शासक अल सऊद परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में हैं। वर्तमान सऊदी अरब को स्थापित करने वाले शाह अब्दुल अजीज अल-सऊद की पत्नी हुस्सा बिन्त अहमद अल-सुदैरी के सात बेटे थे। अब इनमे से केवल वर्तमान शाह सलमान और उनके छोटे भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज जीवित बचे हैं। अहमद का जन्म 1942 में हुआ था। रियाद में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वविद्यालय रेडलैंड्स से 1968 में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अहमद कई दशक तक उप गृह मंत्री रहे और इन्हें 2012 में गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। मगर उन्हें अचानक पांच महीने के बाद ही उनके पद से हटाकर शाह के एक अन्य भतीजे मोहम्मद बिन नायेफ को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। अहमद कई वर्ष तक मक्का और मदीना के गवर्नर भी रहे हैं। बताया जाता है कि अहमद का सऊदी अरब की बाएत परिषद पर विशेष प्रभाव है। यह परिषद सऊदी तख्त की विरासत का फैसला करती है। 2017 में जब वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता को हथियाने का प्रयास किया था तो उसका बाएत परिषद के कई लोगों ने विरोध किया था। 2017 में जब वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने राज परिवार के सैकड़ों सदस्यों को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें रियाद के रिट्ज होटल में बंदी बनाकर रखा गया था तो इन गिरफ्तारियों से पूर्व अहमद भागकर लंदन

चले गए थे। अक्टूबर 2018 में शाह ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद वे लंदन से सऊदी अरब लौट आए थे। जब वह लंदन में थे तो अहमद का वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान से यमन में युद्ध शुरू करने के प्रश्न पर काफी विवाद हुआ था। सऊदी अरब में वापस आने के बाद अहमद निरंतर गुप्तचरों की निगरानी में थे। और उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनकी गद्दी प्राप्त करने की कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं है। इसके बावजूद उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उससे सऊदी अरब में गद्दी के लिए चल रहा संघर्ष तेज हुआ प्रतीत होता है।"

"यह पहला अवसर नहीं है जब सऊदी अरब में गद्दी प्राप्ति के लिए इस तरह के हथकंडों का सहारा लिया गया हो। वर्तमान शाह सलमान ने अपने भाई शाह अब्दुल्ला के निधन के बाद 23 जनवरी 2015 को सत्ता संभाली थी और उन्होंने मुकरिन बिन अब्दुल अजीज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मगर तीन महीने बाद ही उन्हें हटाकर उनकी जगह मोहम्मद बिन नायेफ को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जिन्हें 2017 में वर्तमान शाह के पुत्र मोहम्मद बिन सलमान ने उनके पद से हटा दिया था। इससे पूर्व 2009 में नायेफ को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और वे 2011 तक इस पद पर रहे। बाद में उनको हटाकर सुल्तान ने मुकरिन को उनके पद पर नियुक्त किया। नायेफ के कार्यकाल में सऊदी अरब पर तीन राजाओं ने हुकूमत की, जिनमें खालिद, फहद और अब्दुल्ला शामिल थे। परम्पराओं के अनुसार सऊदी अरब के शासक का निर्णय अल सऊद के परिवार से ही होता है।"

"पिछले ढाई सौ वर्ष से अब्दुल अजीज इब्न सऊद के परिवार का शासन सऊदी अरब में चला आ रहा है। इस अवधि में दो बार शासन इस परिवार के हाथ से निकला। 1890 में उत्तराधिकार के प्रश्न पर तब विवाद खड़ा हुआ जब अल सऊद के बजाय सत्ता अल रशीद के हाथ में चली गई। 1902 में अमीर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान ने रियाद पर कब्जा कर लिया। इब्न सऊद ने सऊदी अरब पर कब्जा करने के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सऊदी अरब के विभिन्न कबीलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। उनके संतान की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है जिसमें साठ पुरुष थे। उनका निधन 1953 में हो गया। उन्होंने अपने पुत्र तुर्की को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मगर उनकी 1918 में मृत्यु हो गई। उसके भाई का बेटा खालिद 1933 में उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया।"

"1953 में शाह के निधन के बाद सऊद को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया और फैजल को युवराज घोषित किया गया। बाद में इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। 1964 में मोहम्मद ने सत्ता संभाल ली। बाद में फैजल स्वयं राजा बन गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई खालिद को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शाह खालिद के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई और उत्तराधिकारी का संघर्ष युवराज फहद और उनके सौतेले भाई सुल्तान के बीच शुरू हो गया। मगर परेशानी यह थी कि इनसे दो बड़े भाई भी थे, जिनका नाम बांदर और मसूद था। मसूद के बेटे ने किंग फैजल की हत्या कर दी। 2005 में किंग फहद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब के शाह बन गए। 2015 में अब्दुल्ला की मौत के बाद सलमान ने शासन की बागडोर सम्भाल ली। बाद में शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को 2017 में युवराज घोषित कर दिया और मोहम्मद बिन नायेफ को उनके पद से हटा दिया।"

सियासत (9 मार्च) के अनुसार "सऊदी सरकार ने यह दावा किया है कि कुछ विद्रोहियों ने शासन पर कब्जा करने की जो साजिश की थी वह सेना ने विफल कर दी है और सऊदी शासक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने शाह सलमान का चित्र प्रकाशित किया है जिसमें वे यूक्रेन के नए राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं। विद्रोह की साजिश करने वाले सभी विद्रोही शाह के अंगरक्षकों के कब्जे में हैं। जिन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अहमद बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन नायेफ और उनके छोटे भाई भी शामिल हैं। एक अन्य जानकारी के अनुसार सैकड़ों इमामों और अन्य धार्मिक नेताओं को भी जेलों में डाल दिया गया है। इन्हें मोहम्मद बिन सलमान की उदारवादी नीतियों का विरोधी माना जाता है। सऊदी सरकार इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है।"

# काबा में प्रवेश पर प्रतिबंध

कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सऊदी सरकार ने विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी उमरा करने के लिए आने वाले लोगों पर भी लगाई गई है। काबा और मदीना में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (6 मार्च) के अनुसार "उमरा के लिए जो यात्री सऊदी अरब आए हुए थे उन्हें वापस भिजवाया जा रहा है। काबा की परिक्रमा बंद कर दी गई है। काबा और मदीना में कीटनाशक दवाईयों का व्यापक पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। समाचारपत्र के अनुसार सऊदी सरकार ने काबा और मदीना स्थित मस्जिदों में सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस्लाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब काबा में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई हो। सरकार ने काबा और मस्जिद-ए-नबवी में प्रवेश पर तो पाबंदी लगा दी है मगर इन पवित्र स्थानों के आस-पास के क्षेत्रों में हजारों व्यक्ति कीटनाशक औषधियों का छिड़काव कर रहे हैं।"

**सियासत** (9 मार्च) के अनुसार "सरकारी आदेश पर सऊदी अरब के शिया बहुल क्षेत्र की सम्पूर्ण नाकाबंदी कर दी गई है और यह आदेश दिया है कि इस क्षेत्र का रहने वाला कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में नहीं जा सकता है। कतीफ नामक नगर की नाकेबंदी का काम सेना के हवाले किया गया है और सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इस नगर की जनसंख्या 5 लाख बताई जाती है। सऊदी अरब सरकार का दावा है कि इस नगर में ईरान की धार्मिक यात्रा करने के बाद शिया यात्री आए थे और इनके कारण सऊदी अरब में कोरोना वायरस की महामारी फैली है। सऊदी सरकार ने यह चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति कतीफ नगर से न तो बाहर निकल सकता है और न उसमें दाखिल ही हो सकता है। उप शिक्षा मंत्री डॉ. अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल असिमी को शाह ने खास तौर पर इस महामारी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वहां भेजा है।"

**इत्तेमाद** (8 मार्च) के अनुसार "हज मंत्री अल शेख अब्दुर रहमान अल-सुदैस ने उमरा और काबा की यात्रा पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा है कि यह फैसला शरीयत के अनुसार है। क्योंकि एक महामारी से लोगों के प्राणों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी सऊदी अरब में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह भी मुसलमानों के प्राणों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन से आने वाले वाहनों और यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने इन देशों के विमानों के भी सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।"

# ईरान के पूर्व उप विदेश मंत्री कोरोना वायरस का शिकार

**मुंबई उर्दू न्यूज** (7 मार्च) के अनुसार "ईरान में अब तक 200 से अधिक लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। इनमें पूर्व उप विदेश मंत्री हुसैन शेख उल-इस्लाम भी शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। जबकि उप राष्ट्रपति इशाक जहांगीरी भी इस महामारी की चपेट में हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार हजारों लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं। राजधानी तेहरान में इस बीमारी के कारण 4000 लोग ग्रस्त हैं और दिन-प्रतिदिन इसके रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। एक अन्य सांसद फातिमा रहबर की भी मौत हो गई है। ईरान सरकार ने सभी बैंक और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए हैं, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त ईरान के सभी स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय दो महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। ईरान सरकार ने देश भर में विभिन्न नगरों के बीच सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त ईरान सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि लोग करेंसी नोटों का कम-से-कम इस्तेमाल करें। क्योंकि इसके कारण भी यह महामारी तेजी से फैल रही है।"

**मुंबई उर्दू न्यूज** (9 मार्च) के अनुसार "ईरान में

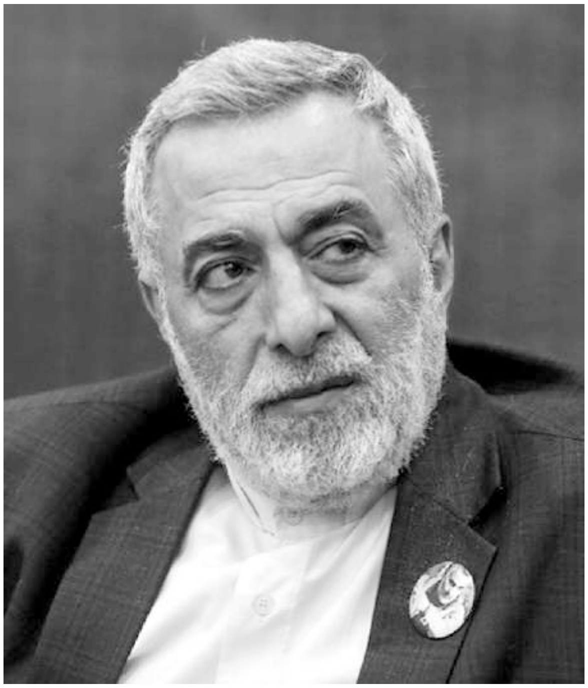

कोरोना वायरस से मरने वाले प्रमुख लोगों में एक उप राष्ट्रपति, तीन मंत्री और चार सांसद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त परामर्शदात्री परिषद के पांच प्रमुख सदस्य भी इस महामारी के कारण दम तोड़ गए हैं।"

# होस्नी मुबारक का निधन

**सियासत** (27 फरवरी) के अनुसार "मिस्र पर 30 वर्ष तक शासन करने वाले पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हो गया है। 91 वर्षीय इस नेता ने बड़ी संकट के हालत में उस समय मिस्र की बागडोर सम्भाली थी जब राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या कर दी गई थी। ज्ञातव्य है कि अनवर सदात को इजरायल के साथ कैंप डेविड समझौता करने पर सेना के कुछ सिपाहियों ने मिलिट्री परेड के मौके पर गोली से उड़ा दिया था। होस्नी मुबारक उस समय मिस्र के उप राष्ट्रपति थे। अनवर सदात की हत्या के बाद भी होस्नी मुबारक ने इजरायल के साथ हुए समझौते को यथावत रखा। इस समझौते के तहत इजरायल की सेना ने सिनाई के क्षेत्र को खाली कर दिया था।"

"उल्लेखनीय है कि 1967 में जब मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर थे तो अरब-इजरायल के युद्ध में इजरायल ने यरूशलम में गोलन की पहाड़ियों और मिस्र में सिनाई पर कब्जा कर लिया था। 2011 में अरब वसंत की लहर चली, जिसके कारण जनता में काफी अलोकप्रियता बढ़ी। इसके बाद मिस्र में जो चुनाव हुए उसमें होस्नी मुबारक

सदात पर हुए हमले में होस्नी मुबारक भी जख्मी हो गए थे। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उन पर अनेक बार घातक हमले हुए, जो कि विफल रहे। 1995 में जिहादियों ने इथोपिया में होस्नी मुबारक की कार पर गोलियां चलाई थीं। होस्नी मुबारक न तो जमाल अब्दुल नासिर की तरह क्रांतिकारी नेता थे और न ही वे अनवर सदात की तरह जनता में लोकप्रिय ही थे। मगर उन्हें डिप्लोमेटिक जोड़तोड़ में महारत हासिल थी। उनमें हिम्मत थी। यही कारण है कि अनवर सदात की हत्या के बावजूद उन्होंने इजरायल के साथ समझौते को यथावत रखा और अमेरिका के दबाव पर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापना के प्रयासों में भी उनका भारी योगदान रहा। उनके आलोचकों का कहना है कि होस्नी मुबारक के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। जनता को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसके कारण उनके खिलाफ जनाक्रोश उभरा और उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हालांकि होस्नी मुबारक को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि 2000 के दशक में उन्होंने आर्थिक सुधारों का सिलसिला मिस्र में शुरू किया। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनके पुत्र का प्रशासन में जबर्दस्त प्रभाव हो गया था। 2011 में ट्यूनीशिया के शासक जीन अल अबिदीन बिन अली को सत्ता से हटाए जाने के बाद होस्नी मुबारक को भी अपदस्थ कर दिया गया।"

की सरकार अपदस्थ हो गई और कट्टरपंथी मोहम्मद मुर्सी की सरकार सत्ता में आई। मगर अमेरिका समर्थक मिस्री सेना के सेना प्रमुख अल-सिसी ने सैनिक विद्रोह करके मोहम्मद मुर्सी की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद मोहम्मद मुर्सी को जेल में कैद रखा गया और वहीं हाल ही में उनकी मौत हो गई। होस्नी मुबारक भी देशद्रोह आदि आरोपों में वर्षों जेल में बंद रखे गए। सेना के बल पर होस्नी मुबारक ने मिस्र में तानाशाही सरकार स्थापित की और मिस्र को पुलिस स्टेट बना दिया और चुनावों में धांधली करके सत्ता से चिपके रहे। इस्लाम के समर्थकों के साथ देश द्रोहियों जैसा व्यवहार किया गया।"

"होस्नी मुबारक ने पश्चिमी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रखे थे और इजरायल के साथ वे हर कीमत पर शांति रखना चाहते थे। होस्नी मुबारक राष्ट्रपति बनने से पूर्व मिस्र की वायु सेना के प्रमुख रह चुके थे। 1981 में अनवर सदात की हत्या किए जाने के बाद वे राष्ट्रपति बने थे और

एक अन्य समाचार के अनुसार "होस्नी मुबारक को सम्पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ कब्र में दफन किया गया। जनाजे में भारी भीड़ थी और लोग अपनी हाथों में होस्नी मुबारक के चित्र लिए हुए थे। मुबारक के अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को एक मस्जिद परिसर में रखा गया था। जनाजा में होस्नी मुबारक के दो बेटों ने भी भाग लिया, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि होस्नी मुबारक का शासनकाल उनके खिलाफ देश भर में हुए उग्र प्रदर्शनों के कारण समाप्त हुआ था। उन्होंने 2011 में जनाक्रोश को सेना के बल पर कुचलने का प्रयास किया था। आरोप है कि उनके आदेश पर 293 प्रदर्शनकारियों को सेना ने गोलियों से उड़ा दिया था। इनकी हत्या के आरोप में उन पर न्यायालय में मुकदमा चला था। मुकदमे का सामना करने वाले वे पहले अरब नेता थे। जेल में छह वर्ष तक कैद रखने के बाद उन्हें 2017 में रिहा किया गया था। मगर जेल में रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वे बीमार रहते थे। होस्नी मुबारक ने अपना जीवन एक सैनिक विमान चालक के रूप में प्रारम्भ किया था।"

# हमास ने वार्ता की पेशकश ठुकराई

**इत्तेमाद** (23 फरवरी) के अनुसार "फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने अमेरिका की ओर से वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमास के एक प्रमुख नेता डॉ. मुसा मोहम्मद अबु मरजुक ने कहा है कि हम अमेरिका से सीधे या मध्यस्थता से कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलिस्तीनियों को सबसे पहले आपस में एकता को सुदृढ़ बनाना होगा ताकि हम यहूदियों का संयुक्त रूप से मुकाबला कर सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि फिलिस्तीनी भी यहूदियों से अपने वतन को आजाद करवाने में सफल होंगे। फिलिस्तीनी अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेंगे। हम किसी अमेरिका या इजरायल को अपने भविष्य को तय करने का मौका नहीं देंगे। हम अमेरिका और इजरायल के हर नापाक मंसूबे को धूल में मिलाकर दम लेंगे। हमें अमेरिका की कोई सौदेबाजी मंजूर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो साजिश रची है उसे अनेक मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है।"

# तेलंगाना में अवैध धार्मिक स्थल

**इत्तेमाद** (27 फरवरी) के अनुसार "सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को रोकने में विफल होने पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि पार्कों, झीलों और तालाबों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की नीति निर्धारित करने में राज्य सरकार विफल रही है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि राजस्व विभाग, पुलिस, नगरपालिका प्रशासन और पंचायतें सरकारी भूमि का संरक्षण करने में विफल रही हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से उपासना स्थलों का निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उच्च न्यायालय के बेंच ने यह निर्देश दिया है कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा अगली तिथि को विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। मुख्य न्यायाधीश रघुवेन्द्र सिंह चौहान और जस्टिस के. अभिषेक रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने 2010 में सार्वजनिक भूमि के संरक्षण के लिए जो आदेश जारी किया था उसको लागू करने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। क्या इसका कारण यह है कि सरकार धार्मिक संस्थानों के प्रबंधकों के दबाव में है।"

"न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर कब्जा करके वहां पर कोई अवैध धार्मिक भवन बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार को चाहिए कि वह हैदराबाद और सिकंदराबाद स्थित सभी सरकारी भूमि का सर्वेक्षण करवाए, जिन पर गत पांच वर्षों में मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों का अवैध निर्माण किया गया है। न्यायालय में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि तेलंगाना में 6707 धार्मिक भवन हैं, जिनमें से 2200 सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इन अवैध धार्मिक स्थलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे भवन हैं, जिन्हें हाल ही में बनाया गया है और जिन्हें गिराया जा सकता है। जबकि दूसरी श्रेणी में ऐसे भवन हैं, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए उनके प्रबंधकों को सरकार से बातचीत करनी होगी। तीसरे भवन ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं और जिन्हें गिराने से शांति व्यवस्था बिगाड़कर गम्भीर स्थिति का निर्माण हो सकता है क्योंकि उनके साथ जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं।"

"न्यायालय ने कहा कि जब सरकार स्वयं ही अपने आदेशों को लागू करने में रुचि नहीं रखती तो उनकी भूमि पर अवैध कब्जों को कौन रोकेगा? जज ने एन प्रवीण रेड्डी को यह निर्देश दिया कि वे जिला रंगारेड्डी के अमीनपुर स्थित सरकारी भूमि पर मंदिर के अवैध निर्माण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। न्यायालय ने कहा कि अमीनपुर में अगर आज मंदिर बनाने की अनुमति दी गई तो कल वहां पर गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद आदि भी बनाए जाएंगे। इसलिए इस मामले का गंभीर नोटिस लिए जाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 2018 में इस पार्क की भूमि पर मंदिर के अवैध निर्माण का मामला ठाकुर राज कुमार सिंह ने जनहित याचिका के रूप में न्यायालय में दायर किया था। इस याचिका में यह शिकायत की गई थी कि सरकार ने माधवपुरी हिल्स देवालय कमेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि माधवपुरी हिल्स में रॉक गार्डन के लिए निर्धारित पार्क पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है और उसमें एक मूर्ति की भी स्थापित कर दी गई है। न्यायालय ने प्रवीण रेड्डी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।"

# महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के बजट में वृद्धि

**मुंबई उर्दू न्यूज** (7 मार्च) के अनुसार "राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के बजट की धनराशि में वृद्धि की है। अगले वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं पर साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि गत वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण पर साढ़े तीन सौ करोड़ खर्च किए गए थे। समाचारपत्र के अनुसार राज्य सरकार ने मुसलमानों के कल्याण से संबंधित किसी नई योजना की घोषणा नहीं की है। मगर मदरसों के आधुनिकीकरण और मुस्लिम छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। जिनमें उन्हें रहने, खाने और शिक्षा की मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। अवामी विकास पार्टी के अध्यक्ष शमशेर खान पठान ने राज्य सरकार की बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि यह उंट के मूंह में जीरे की तरह है। उन्होंने कहा है कि यह हैरानी की बात है कि मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के लिए इस बजट में कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस निगम के लिए पांच सौ करोड़ की व्यवस्था करे ताकि बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांग न मानी तो वे निगम के कार्यालय पर जाकर ताला लगाएंगे।"

# तेलंगाना में मुसलमानों के लिए बजट में कटौती

**सियासत** (9 मार्च) के अनुसार "तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अगले वर्ष के बजट में निर्धारित धनराशि में पांच सौ करोड़ की कटौती की है। गत वर्ष अल्पसंख्यकों की कल्याण योजना के लिए 2000 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी, जिसे अब घटाकर 1518 करोड़ कर दिया गया है। नए बजट में मुस्लिम युवतियों के विवाह पर दिए जाने वाले शादी मुबारक योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 63 करोड़ रुपये की छात्रवृतियां दी जाएंगी। छात्रों को ढाई सौ करोड़ की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी।"

"राज्य में उर्दू घरों की स्थापना पर साढ़े आठ करोड़ खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना हज कमेटी को 1 करोड़ 32 लाख, उर्दू एकेडमी को 1 करोड़ 7 लाख और आईएएस-आईपीएस की परीक्षाओं के लिए छात्रों को डेढ़ करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। रोजा इफ्तार की दावत पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत पर ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के नेता विक्रम ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में निर्धारित धनराशि में कटौती की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सरकार के मुस्लिम प्रेम के दावों का पर्दाफाश हो गया है।"

# नागरिकता कानून का विरोध करने पर दो मुसलमान नौकरी से बर्खास्त

**इत्तेमाद** (1 मार्च) के अनुसार "बरखा त्रेहन का एक ट्विट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नागरिकता कानून का विरोध करने के कारण उन्होंने अपनी कम्पनी के दो मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान अगर आप सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैं तो मैं आपको अपनी कम्पनी में नहीं रख सकती। इस ट्विट के जवाब में एक अन्य कम्पनी ने इस फैसले की निंदा की है और इन दोनों मुस्लिम कर्मचारियों को अपनी कम्पनी में नौकरी देने की पेशकश की है।"

# इस्लामिक आतंकवादियों पर छापे

**अखबार-ए-मशरिक** (26 फरवरी) के अनुसार "राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस से जुड़े जिहादी उग्रवादियों के एक गिरोह का पता लगाने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में अनेक स्थानों पर छापे मारे। तमिलनाडु में दस स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें चेन्नई, कांचीपुरम, तूतुकुड़ी, सेलम और कुड्डलोर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में भी बीस से अधिक स्थानों पर छापे मारे की गई और आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून के तहत दस व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें कांचीपुरम का पचयप्पन, चेन्नई का राजेश, सेलम का अंबारसन, अब्दुल रहमान, लियाकत अली के अलावा बेंगलुरु का हनीफ खान, इमरान खान, मोहम्मद जैद, एजाज पाशा और हुसैन शरीफ आरोपित बनाए गए हैं। इस गिरोह का संबंध इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए एक व्यक्ति खाजा मोइदीन के साथ बताया जाता है। इन संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से 16 सिम, विभिन्न पुस्तकें और ऑडियो टेप बरामद हुए हैं। एक अन्य मुकदमा आईएसआईएस माड्यूल खाजा मोइदीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन सभी पर यह आरोप है कि इन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्फोटों की शृंखला की साजिश रची थी और इनका संबंध इस्लामिक स्टेट से है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अब्दुल समद, खाजा मोइदीन, सैयद अली नवाज और जफर अली बताया जाता है। केन्द्रीय जांच एजेंसी के अनुसार यह आतंकवादी संगठन भारत में तेजी से पैर पसार रहा है।"

# विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली
25. मुंबई उर्दू न्यूज़, मुंबई

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

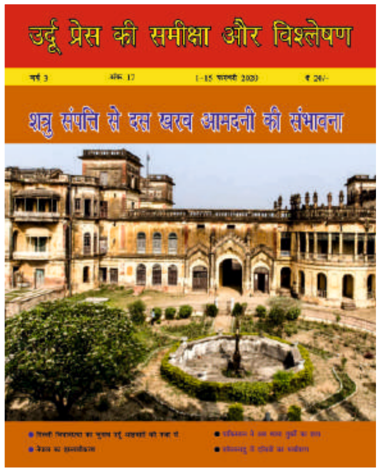

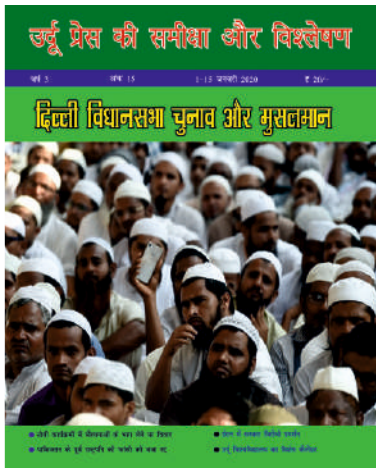


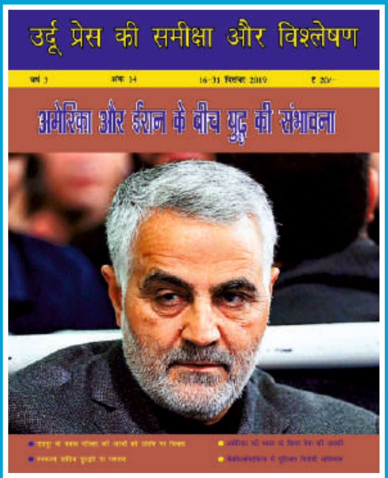


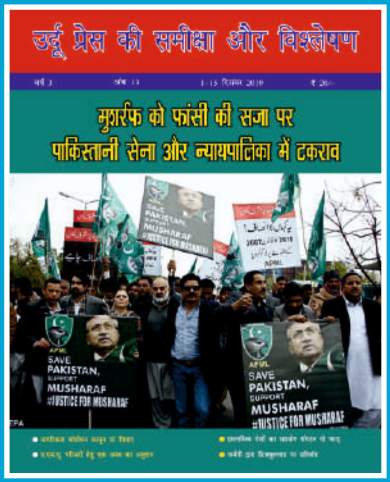


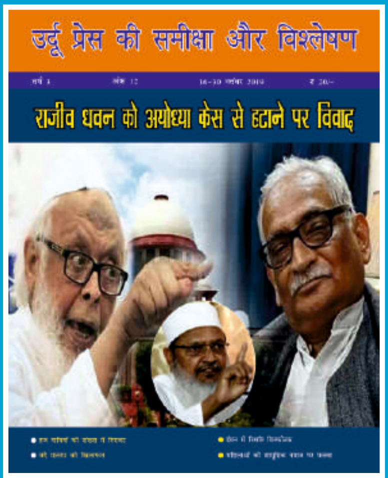


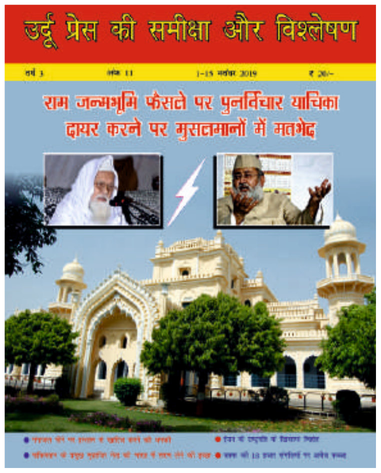

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

# भारत नीति प्रतिष्ठान
# India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.ipf.org.in